न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 56/2022/अपील/एलआरएक्ट/झालावाड़

दायरा दिनांकः 23.03.2022

अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. शिवसिंह आत्मज श्री कन्हीराम जी जाति सोन्ध्या निवासी ग्राम बड़ाय तहसील बकानी जिला झालावाड
2. मांगीलाल आत्मज श्री शिवसिंह जाति सोन्ध्या निवासी ग्राम बड़ाय तहसील बकानी जिला झालावाड

...अपीलान्ट

बनाम

1. कालू सिंह आत्मज श्री कन्हीराम जी जाति सोन्ध्या निवासी ग्राम बड़ाय तहसील बकानी जिला झालावाड
2. भेरूसिंह आत्मज कन्हीराम जी जाति सोन्ध्या निवासी ग्राम बड़ाय तहसील बकानी जिला झालावाड
3. रामलाल आत्मज श्री कन्हीराम जी जाति सोन्ध्या निवासी बड़ाय तहसील बकानी जिला झालावाड़
4. कमला बाई पुत्री कन्हीराम जी पत्नि बालूसिंह सोन्ध्या निवासी ग्राम लालखेडी तहसील सुसनेर जिला आगर म०प्र०
5. गीता पुत्री कन्हीराम जी जाति सोन्ध्या पत्नि भगवान सिंह जी निवासी नानोर तहसील बकानी जिला झालावाड
6. लीला बाई पुत्री कन्हीराम जी पत्नि पूरसिंह जाति सोन्ध्या निवासी ग्राम नेउखेडी तहसील बकानी जिला झालावाड
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बकानी

...रेस्पो0

उपस्थित : श्री रुपनारायण सिसोदिया अभिभाषक अपीलांट

::निर्णय::

दिनांक 27.02.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़ (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 37/2020 बउनवान शिवसिंह वगे0 बनाम कालूसिंह वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 29.10.2020 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

अति. सं. आयुक्त कोटा

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार बकानी के स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 2045 आदेश दिनांक 09.07.2020 के विरूद्ध अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी बाबत् नियमित वाद उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के यहां विचाराधीन होने से वादग्रस्त आराजी का निस्तारण उक्त विचाराधीन वाद के निर्णय उपरांत स्वतः होना वर्णित करते हुए अपील अपीलांट निर्णय दिनांक 29.10.2020 से खारिज की गयी।

2 न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़ (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 37/2020 बउनवान शिवसिंह वगे0 बनाम कालूसिंह वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 29.10.2020 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील पेश करन कथन किया गया कि अपील से संबंधित तथ्य इस प्रकार है कि कि परीक्षण न्यायालय द्वारा स्व० महताब बाई को श्री कन्हीराम की बेवा होना मानकर उसके नाम नामान्तकरण तस्दीक हो गया तथा उसके आधार पर रेस्पो० के नाम नामान्तरकरण तस्दीक हुआ जबकि शिवसिंह कन्हीराम का जायज पुत्र है तथा कन्हीराम जी की ब्याहता स्त्री श्रीमति केसर बाई है तथा केसर बाई के पुत्र अपीलान्ट है, अतः उक्त नामान्तकरण से मेहताब बाई के स्थान पर जो नामान्तकरण रेस्पो० के नाम तस्दीक हुआ है उक्त नामों को हटाया जाकर उक्त विवादित आराजी मे अपीलान्ट का नाम अंकित होना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त संबंध में संपूर्ण जांच किये बिना ही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को यह कहते हुये निरस्त कर दिया कि पक्षकारान मे विवादित आराजी के संबंध मे वाद लंबित है उक्त आराजी का कौन मालिक व वारिस है इसका निस्तारण उक्त वाद मे होगा। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.10.2020 कानून, न्याय एवं तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। परीक्षण न्यायालय ने विवादित आराजी के संबंध मे पूर्ण रूप से वारिसान की जांच करवाये बिना मात्र पटवारी हल्का की एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर नामान्तकरण जेर अपील तस्दीक किया गया है, जबकि परीक्षण न्यायालय को मौके पर कानूनगो को भेजकर वारिसान की पूर्ण जानकारी करवाकर हक विरासत की पूर्ण जानकारी लेने के बाद नामान्तरकरण तस्दीक करना चाहिये था। अतः उक्त नामान्तकरण पूर्ण रूप से अवैधानिक होने से अपीलान्ट के हितो के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है। रेस्पो० जो कि अपने आपको स्व० मेहताब बाई के वारिसान बता रहे है जबकि मेहताब बाई स्व० कन्हीराम जी की लीगल पत्नि ही नहीं है, तो रेस्पो० को किस प्रकार हक अधिकार प्राप्त हो सकते है। इस तथ्य को भी अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज करके निर्णय जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि कारित की है। विवादित आराजी मे रेस्पो० का नाम अंकित होने से वह उक्त भूमि का गलत रूप से उपयोग उपभोग कर रहे है तथा अपीलान्ट का हक विरासत होने के बाद भी अपीलान्ट को उक्त आराजी से महरूम कर रखा है इसलिये न्याय हित मे अपील स्वीकार कर नामान्तकरण जेर अपील निरस्त करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय

अति. स्.स./आयुक्त
कोटा

को हक विरासत की पूर्ण जानकारी कर विवादित आराजी का हक विरासत के आधार पर पुनः नामान्तकरण तस्दीक करने हेतु उक्त पत्रावली को अधीनस्थ न्यायालय को रिमान्ड करना चाहिये था, किंतु ऐसा न करके अपील खारिज करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.10.2020 निरस्त फरमाया जावे एवं प्रकरण परीक्षण न्यायालय को पुनः वारिसान की जांच कर बाद साक्ष्य लेकर पुनः वारिसान के नाम नामांतरकरण तस्दीक करने हेतु प्रतिप्रेषित फरमाया जावे।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बावजूद सूचना रेस्पो0 के अनुपस्थित रहने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एकपक्षीय सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों के समर्थन में लिखित बहस पेश कर कथन किया कि प्रश्नगत आराजी कन्हीराम आत्मज भवानी सिंह की है, इसको लेकर कोई विवाद नही हैं। कन्हीराम जी का अपीलान्ट की माता केसर बाई से विवाह हुआ बाद में कन्हीराम जी द्वारा मेहताब बाई से विवाह कर लिया, जिससे रेस्पोडेन्ट उत्पन्न हुए। कन्हीराम जी का वर्ष 1995 में स्वर्गवास होने के बाद तस्दीक किये गये इंतकाल में केसर बाई के स्थान पर मेहताब बाई का नाम त्रुटि पूर्ण रूप से दर्ज कर दिया और मेहताब बाई का वर्ष 2019 में स्वर्गवास होने पर अपीलान्ट का नाम दर्ज नही करने के कारण अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का मौके पर कब्जा काश्त होने व अपीलान्ट हमेशा से आराजी पर काबिज काश्त रहा है, अपीलान्ट का कब्जा प्रमाणित होने के बावजूद भी अपीलान्ट की अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानते हुए कि दावा जेरकार है इस कारण अपील खारिज की है, जो गलत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.10.2020 निरस्त कर, प्रकरण परीक्षण न्यायालय को पुनः नामांतरकरण तस्दीक करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया।

5 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट पर एकपक्षीय मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार बकानी के द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 2045 आदेश दिनांक 09.07.2020 के विरूद्ध अपील भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी बाबत् नियमित वाद उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के यहां विचाराधीन होने से वादग्रस्त आराजी का निस्तारण उक्त विचाराधीन वाद के निर्णय उपरांत स्वतः होना वर्णित करते हुए अपील अपीलांट निर्णय दिनांक 29.10.2020 से

खारिज की गयी। प्रकरण में अपीलांट का तर्क है कि कन्हीराम जी का वर्ष 1995 में स्वर्गवास होने के बाद तस्दीक किये गये इंतकाल में केसर बाई के स्थान पर मेहताब बाई का नाम त्रुटि पूर्ण रूप से दर्ज कर दिया और मेहताब बाई का वर्ष 2019 में स्वर्गवास होने पर अपीलान्ट का नाम दर्ज नही करने के कारण अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का मौके पर कब्जा काश्त होने व अपीलान्ट हमेशा से आराजी पर काबिज काश्त रहा है, अपीलान्ट का कब्जा प्रमाणित होने के बावजूद भी अपीलान्ट की अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज की गई। इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अपीलांट के द्वारा अपील मीमो के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया, जिससे अपील मीमो के कथनों की पुष्टि होती हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में नियमित राजस्व वाद जैरकार होने से अपील खारिज करना उचित प्रकट होता है, क्योंकि अधिकारों का निर्धारण नियमित वाद में ही होगा। नामांतरकरण सरसरी कार्यवाही है, जिससे अधिकारों का निर्धारण नहीं होता। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़ द्वारा प्रकरण सं0 37/2020 बउनवान शिवसिंह वगै0 बनाम कालूसिंह वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 29.10.2020 न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

6 निर्णय आज दिनांक 27.02.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

27/2/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति० संभागीय आयुक्त
कोटा